

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.पत्र./447/2002

दर्ज दिनांक:-29.10.2002

1. निन्नूराम पता—प्रार्थी
बनाम
2. भगवानसिंह पता—अप्रार्थीगण
- उपस्थित:
- चन्द्रमोहन गुप्ता प्राथी अभिभाषक
कुष्ण कुमार सिंघल अप्राथी अभिभाषक



दिनांक:-29.01.18

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है मूलदावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 29.10.2002 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर